



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फ़ैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र./ / अकादमी / 2016

बिलासपुर, दिनांक : / 10 / 2016

बी.एड. काउंसिलिंग अधिसूचना

बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष 2016-17 में प्रवेश हेतु सम्पन्न हो रही ऑनलाइन काउन्सलिंग के तहत जिन अभ्यर्थियों को सीट आबंटन किया गया है उनके लिए संशोधित काउन्सलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित किया जाता है –

1. पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने की तथा चालान अपडेट करने की अंतिम तिथि – दिनांक 03 नवंबर 2016 तक
2. अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपडेटेड चालान वि.वि. मुख्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 05 नवंबर 2016 तक
3. रिक्त सीटों की जानकारी वि.वि. की वेबसाइट पर जारी होने की तिथि – दिनांक 07 नवंबर 2016

सीट रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(अ) शेष बची सीट में (ऑनलाइन काउन्सलिंग में पंजीकृत अभ्यर्थियों से) फेस-टू-फेस काउन्सलिंग के द्वारा (मेरिट क्रम अनुसार) सीट रिक्त रहते तक प्रवेश दिया जायेगा।

फेस-टू-फेस काउन्सलिंग हेतु पंजीयन फार्म जमा करने का दिनांक 10 नवंबर

प्रातः-10:30 से 12:30 तक

मेरिट क्रम अनुसार प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया का समय – अपराह्न

02:00 से 04:30 तक

(ब) फेस-टू-फेस काउन्सलिंग की प्रक्रिया विश्वविद्यालय मुख्यालय कोनी-बिरकोना मार्ग बिलासपुर में ही संपन्न की जायेगी।

(स) फेस-टू-फेस काउन्सलिंग की प्रक्रिया में शामिल होन हेतु अभ्यर्थी समस्त वांछित प्रमाण-पत्र एवं पाठ्यक्रम शुल्क के साथ ही उपस्थित हों। किसी भी प्रमाण-पत्र में कमी पाये जाने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा तत्काल प्रभाव से आवेदन निरस्त किया जायेगा। प्रवेश मिलने की स्थिति में प्रथम वर्ष शुल्क रु.21,200/- तत्काल ही वि.वि. प्रांगण में स्थित बैंक में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(द) फेस-टू-फेस काउन्सलिंग कार्यालयीन समय में सम्पन्न की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

R. W. S. S.
कुलसचिव

पृ.क्र. / अकादमी / 2016

बिलासपुर दिनांक : / 10 / 2016

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. एम.पी. आनलाइन लि. भोपाल को सूचनार्थ।
5. प्रभारी बी.एड./डी.एल.एड. अध्ययन केन्द्रों को सूचनार्थ।
6. क्षेत्रिय समन्वयक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को वि.वि. की वेबसाइट में अपलोड